



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 241 राँची, शुक्रवार, 05 चैत्र, 1943 (श०)
26 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

03 मार्च, 2021 ई०।

संख्या:-11/बंदी विविध-07/2019- 1292 -- लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-04.12.2020 एवं 25.02.2021 को आहूत बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1.	किशुन महतो, पे.- पुरन महतो, उम्र- 65 वर्ष लगभग।	ग्राम- ऊपरबंदा, थाना- चंद्रपुरा, जिला- बोकारो।	सत्रवाद संख्या- 145/91, नावाडीह थाना कांड संख्या- 63/86, जी.आर.- 850/86 धारा- 302 IPC
2.	पुरन महतो, पे.- मटुक महतो, उम्र- 55 वर्ष लगभग।	ग्राम- तेलमच्चो, थाना- महुदा, जिला- धनबाद।	सत्रवाद संख्या- 406/05, बाघमारा थाना कांड संख्या- 133/05, धारा- 302 IPC
3.	नारायण टुडू, पे. बुधन टुडू, उम्र- 48 वर्ष लगभग।	ग्राम- गुलीटाँड़, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद।	सत्रवाद संख्या- 223/92, बलियापुर थाना कांड संख्या- 111/91, जी.आर.- 2312/91, धारा- 148, 302/34 IPC
4.	विनोद यादव, पे.- स्व. बासुदेव यादव, उम्र- 47 वर्ष लगभग।	ग्राम- फरिन्दा, थाना + जिला- कोडरमा।	सत्रवाद संख्या- 328/99, कोडरमा थाना कांड संख्या- 02/99, धारा- 302, 324, 323 IPC
5.	दशरथ साव उर्फ लुटन साव, पे.- स्व. भोला साव, उम्र- 45 वर्ष लगभग।	ग्राम- धुरगड़गी, थाना- जमुआ, जिला- गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या- 174/03, जमुआ थाना कांड संख्या- 199/02, जी.आर.- 1880/02, धारा- 302 IPC & Arms Act.

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
